न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक
46/2025	24.02.2025	17.11.2025

उनवान

1. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री रामगोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादीया–

बनाम

1. श्रीमती गोदी देवी पत्नी चौथमल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. अशोक पुत्र भैरूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. कंचन पुत्री भैरूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. मुकेश पुत्र भैरूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. श्रीमती लाली देवी पत्नी भैरूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
7. उप–पंजियक महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. सिंडिकेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा फतेहपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एस० बी० आई० बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांकः– 17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 30.05.2025 को कुरेजात प्राप्त हुए। पत्रावली पर प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी०पी०सी० सपठित धारा 151 सी०पी०सी० का पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी०पी०सी० सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन पर सिधे अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी०पी०सी० सपठित धारा 151 सी०पी०सी० का पूर्ण सुनवाई/परिक्षणोपरान्त अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति के आधार पर स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपस्थित अधिवक्ता

उभयपक्ष के निवेदन पर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर पुनः कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 प्राप्त हुई। पत्रावली पर अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिकार्ड, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। जिससे वादीया का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीया का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 14.07.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम कुशलपुरा, पटवार हल्का कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 406 के हाल खसरा नम्बर 453 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. गुलाब देवी पत्नी रामगोपाल जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन सिंडिकेन्ट बैंक शाखा फतेहपुरा को खसरा नम्बर 554 रकबा 0.1412 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.1988 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.1570 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.1684 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552/2 रकबा 0.0095 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553/2 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, कुल किता 06 का कुल रकबा 0.6799 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. लाली देवी पत्नी भैरूराम हिस्सा 3591/4431 अशोक मुकेश पि0 भैरूराम कंचन पुत्री भैरूराम हिस्सा 840/4431 जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन मुकेश का हिस्सा एस0बी0बी0जे शाखा सामोद को खसरा नम्बर 544/1 रकबा 0.2040 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 545/1 रकबा 0.2391 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.4431 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. गोदी देवी पत्नी चौथमल जाति मीणा सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 545/2 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 544/2 रकबा 0.0034 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553/1 रकबा 0.0868 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552/1 रकबा 0.1255 हैक्टेयर, कुल किता 04 का कुल रकबा 0.2207 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) चौमूं के जरिये पंत्राक/भू0अ0/2025/6143 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुरेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 17/11/25

दिलीप सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर